

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट- जयपुर (ग्रामीण)

परिवाद संख्या: 28/2023

GCMS No:- 2023/77

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री विष्णु कुमार साहू पुत्र श्री राजेश कुमार साहू (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स राजेश ट्रेडर्स,
संजीवनी कॉलोनी, निमोडिया मोड, बाईपास चौराहा,
चाकसू जिला जयपुर 303901
मूल निवासी वार्ड नंबर 11, तेलियो का मोहल्ला,
चाकसू जिला जयपुर।

... अप्रार्थी-अभियुक्त



परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 26/09/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी 20.10.2022 को दोपहर 01.00 पी.एम. पर पुलिस थाना चाकसू जयपुर दक्षिण द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना एवं मौके पर दी गई तहरीर क्रमांक 5795 दिनांक 20.10.2022 पर मैसर्स राजेश ट्रेडर्स, संजीवनी कॉलोनी, निमोडिया मोड, बाईपास चौराहा, चाकसू जिला जयपुर पर पहुंचा। वहाँ पर श्री विष्णु कुमार साहू को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री विष्णु कुमार साहू ने स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री विष्णु कुमार साहू से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने स्वयं का आधार कार्ड एवं फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रतियां प्रस्तुत की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेश ट्रेडर्स संजीवनी कॉलोनी निमोडिया मोड, बाईपास चौराहा, चाकसू, जिला जयपुर पर विक्रेता की की निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर लोहे के 20 ड्रमों में लगभग 2000 लीटर सरसों तेल भरा हुआ था जो कि पीपो में भरकर आम जनता को विक्रय किया जाना था। इनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु एक ड्रम में से 1600 ग्राम सरसो का तेल खरीदकर उसकी कीमत 205/- रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अंकित साहू एवं लल्लू प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)



कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसो तेल को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा सरसो तेल को प्रत्येक जार में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2829 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-2829 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र क्रमांक 825 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3190/एक्ट/2022/3279 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसो तेल सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्रांक एफएसएसए/2023/08 दिनांक 05.01.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड सरसो तेल का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 28 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी/अभियुक्त को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी विष्णु कुमार साहू स्वयं उपस्थित आये।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सरसो तेल का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी विष्णु कुमार साहू ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी छोटे स्तर पर तेल की घाणी चलाता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट अपने स्तर पर नहीं करता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्रान्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ सरसो तेल का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 52 में निहित निर्धारित है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। किन्तु अप्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया है कि छोटे स्तर पर तेल की घाणी चलाता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट अपने स्तर पर नहीं करता है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी-अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी-अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

